

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
निर्णय दिनांक:

मुकदमा नम्बर 48/2025

ऑनलाईन नम्बर 2025/94

कमला उर्फ कमां देवी पत्नी सतुनाथ जाति सिद्ध निवासी उदरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थिनी—

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. लिछमा देवी पत्नी भीयानाथ जाति सिद्ध निवासी बरजांगसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. पंजाब नेशनल बैंक शाखा श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।


—अप्रार्थीगण—

उपस्थिति:—

1. श्री पूनमचन्द मारु अभिभाषक प्रार्थी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 3 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से सादर प्रस्तुत है कि खेत खसरा नम्बर 132 तादादी 4.7600 हैक्टेयर रोही बाडेला तहसील श्रीडूंगरगढ़ की 1/2 हिस्सा की खातेदारी प्रार्थिनी के नाम तथा 1/2 हिस्सा की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 2 लिछमा देवी के नाम से है। प्रार्थिनी व अप्रार्थी संख्या 2 आपस में पुत्री-माता है। प्रार्थिनी का सही नाम कमला पत्नी सतुनाथ जाति सिद्ध निवासी उदरासर है तथा कमला पत्नी सतुनाथ के नाम से ही प्रार्थिनी के अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक की खाता पासबुक, जन आधार कार्ड आदि समस्त सरकारी दस्तावेज में प्रार्थिनी का नाम कमला ही दर्ज है। राजस्व रेकार्ड में प्रार्थिनी का नाम कमां देवी पत्नी सतुनाथ जबकि प्रार्थिनी का सही नाम कमला पत्नी सतुनाथ है। कमला प्रार्थिनी का नाम है तथा प्रार्थिनी का परिवार में कमां के नाम से भी पुकारा जाता है। प्रार्थिनी का सही नाम कमला है, परन्तु राजस्व रेकार्ड में प्रार्थिनी का सही नाम दर्ज होने के बजाय बोलता नाम कमां देवी दर्ज हो गया। राजस्व रेकार्ड व अन्य दस्तावेज में प्रार्थिनी का भिन्न-भिन्न नाम दर्ज होने से प्रार्थिनी को काफी पेशानी हो रही है। प्रार्थिनी राजस्व रेकार्ड में भी अपना सही नाम कमला पत्नी सतुनाथ दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थिनी ने तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ से नाम दुरुस्त करने को कहा तो उन्होंने कोर्ट से ऑर्डर लाने का कहा। कमला व कमां दोनो ही प्रार्थिनी के नाम है। कमला प्रार्थिनी का अधिकृत नाम है तथा कमा देवी बोलता नाम है। राजस्व रेकार्ड में प्रार्थिनी का सही नाम कमला दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि खेत खसरा नम्बर



132 तादादी 7.7600 हैक्टेयर रोही बाडेला तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिनी का नाम कमांदेवी पत्नी सतुनाथ जाति सिद्ध निवासी उदरासर के बजाय कमला पत्नी सतुनाथ जाति सिद्ध निवासी उदरासर दर्ज कर राजस्व रेकार्ड दुरुस्त करने का आदेश अप्रार्थी संख्या 1 को दिया जावे। श्रीमान्जी की अति कृपा होगी।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) पेश किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा नाम डिलिट किये जाने का आदेश दिया गया। अप्रार्थी संख्या 3 नोटिस तामिल उपरान्त भी अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 132 तादादी 7.7600 हैक्टेयर वाकेरोही बाडेला तहसील श्रीडूंगरगढ के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थिनी का नाम 'कमांदेवी पत्नी सतुनाथ' के स्थान पर 'कमला पत्नी सतुनाथ' दर्ज करके राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 02.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)
श्रीडूंगरगढ

